संख्या-06/2024/001-2624430(1)/12-2099/162/2023

प्रेषक,

विनोद कुमार सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 09 जनवरी, 2024

विषयः-वित्तीय वर्ष 2022-23 की अनुदान संख्या-81 की लेखाशीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म, 796-जनजाति क्षेत्र उप योजना, 01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ, 0117-नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्स्टेंशन एण्डं टेक्नोलाजी (एन.एम.ए.ई.टी.) के अन्तर्गत सब मिशन ऑफ एग्रीकल्चर मेकेनाइजेशन हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से केन्द्रांश की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-अभि.-13-101/1368/एस.एम.ए.एम.-टी0एस0पी0-के0/लेखा/2023-24, दिनॉक 23 नवम्बर, 2023 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-81 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-796-जनजाति क्षेत्र उप योजना-02-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-0201-कृषि विकास की योजनाएं के मानक मद-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में धनराशि रूपये 295.00 लाख की बचत से अनुदान संख्या-81 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-796-जनजाति क्षेत्र उप योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0117-नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेन्शन एण्ड टेक्नोलॉजी के अन्तर्गत सब मिशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के मानक मद-27-सब्सिडी में धनराशि रू0 8.00 लाख (रूपये आठ लाख मात्र) की धनराशि संलग्न प्रपत्र बी0एम0-9 (भाग-1) के अनुसार पुनर्विनियोग किये जाने की श्री राज्यपाल महोदया निम्नलिखित शर्तो के अधीन स्वीकृति प्रदान करती है:-

नियम व शर्तें / प्रतिबन्ध

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय राज्य सरकार तथा भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार योजना की गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
2. धनराशि का व्यय केवल उन्ही मदों पर किया जायेगा जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।
3. योजनान्तर्गत केन्द्रांश अवमुक्त किये जाने विषयक भारत सरकार के पत्र दिनांक 16.08.2023 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4. बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य कृषि निदेशक द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
5. जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसमें चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।
6. प्रस्ताव में आंकडों की शुद्धता का दायित्व कृषि निदेशक, उ0प्र0 का होगा।
7. प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, जिसका उत्तरदायित्व कृषि निदेशक का होगा।
8. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण योजना की गाइडलाइन एवं तदविषयक भारत सरकार के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

9. वित्तीय स्वीकृतियॉ जारी करने अथवा धनराशि को विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने से पूर्व प्रशासकीय विभाग के स्तर पर की जाने वाली समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्यतः सुनिश्चित कर ली जाये। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है।

10. जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

11. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

12. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 17 मार्च,2023 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2- **मानक मद** 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधिनित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
विनोद कुमार सिंह
उप सचिव।

संख्या-06/2024/001-2624430(2)/12-2099/162/2023, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. संयुक्त सचिव, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, नई दिल्ली।
4. वित्त नियंत्रक, कृषि विभाग, लखनऊ।
5. संयुक्त कृषि निदेशक (अभियंत्रण), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
विनोद कुमार सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

I/462191/2024

बी एम-9 (भाग - 1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A012-20232024-2624430 2023 12-2099 162 2023

विषय:- अनुदान संख्या 81 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2401007960201 से लेखाशीर्षक 2401007960117 में केन्द्रांश रू0 8.00 लाख का पुनर्विनियोग विषयक।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
081	2401007960201 (कृषि विकास योजनाएं (के.60/रा.40-के.+रा.))	20 (सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन))	2,95,00,000 रुपये दो करोड़ पंचानबे लाख मात्र	2,95,00,000 रुपये दो करोड़ पंचानबे लाख मात्र	-8,00,000 रुपये आठ लाख मात्र	2,87,00,000	2023-2024

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
081	2401007960117 (सब मिशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के60-रा40)	27 (सब्सिडी)	0	8,00,000 रुपये आठ लाख मात्र	8,00,000	2023-2024

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

1- स्तम्भ-3 में उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-4 में अंकित बचत निम्नलिखित कारणों से है:-

(अ)-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में माँग कम होने के कारण बचत है।

2- स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है:-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट से सत्यापित की जा सकती है ।

(अ)- भारत सरकार द्वारा एस0एम0ए0एम0 योजनान्तर्गत टी0एस0पी0 श्रेणी में केन्द्रांश अवमुक्त किये जाने के फलस्वरूप नवसृजित लेखाशीर्षक में केन्द्रांश का प्रावधान कराये जाने के कारण।

3- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर संख्या-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

बजट-1-277 दि0 01-01-2024

संख्याः आर ई-< > -2023-24, दिनांक- ~~दिसंबर, 2023~~

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

(ऋषिरेन्द्र कुमार)
विशेष सचिव।

Digitally Signed by रमेश चन्द्र तिवारी
(रमेश चन्द्र तिवारी)
Date: 01-01-2024 13:51:24
Reason: Approved
उप सचिव।

संख्या: 2624430 2023 12-2099 162 2023 दिनांक दिसंबर, 2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट) प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज।
3- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज।
4- वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (बी0एम0-9 तीन प्रतियों में)।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1
8- गार्ड बुक।

8/12/2023
Gunjan Dubey
8-12-2023

आज्ञा से,

(ऋषिरेन्द्र कुमार)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट से सत्यापित की जा सकती है ।